न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 41 / 2017

1 रामावतार दत्तक पुत्र रामनारायण।
2 श्यामलाल पुत्र मंशाराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नाहर सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत।
2 भूराराम पुत्र लुणाराम जाति जाट।
3 सुरजी पत्नी नारायण जाति जाट।
4 पूरण सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 नन्दा पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 प्रभाती देवी पत्नी रामनारायण।
7 सांवरमल पुत्र मुरलीधर।
8 रतनलाल पुत्र मुरलीधर।
9 बनवारी पुत्र मुरलीधर।
10 सुभाष पुत्र मुरलीधर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 रामलाल पुत्र भैरूराम।
12 शिवपाल पुत्र भैरूराम।
13 बंशीराम पुत्र भैरूराम।
14 पतासी देवी पत्नी लिछमण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

15 प्रहलाद पुत्र लिछमण।
16 मन्नालाल पुत्र लिछमण।
17 गोविन्द पुत्र लिछमण।
18 पप्पूराम पुत्र लिछमण।
19 पारली पत्नी भगवाना।
20 कालूराम पुत्र सीताराम।
21 महेश पुत्र सीताराम।
22 राजू पुत्र सीताराम।
23 किशोर पुत्र सीताराम।
24 बनारसी देवी पत्नी सीताराम।
25 सांवरमल पुत्र भगवाना।
26 मनोहरी पुत्री भगवाना।
27 मुली पुत्री भगवाना।
28 ज्यानकी पुत्री भगवाना।
29 श्रवणी पुत्री भगवाना।
30 सावित्री पुत्री भगवाना समस्त जाति कुमावत निवासीगण पापड़िया की ढ़ाणी तन किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
31 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
32 उप तहसीलदार उप तहसील कार्यालय पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
33 पटवारी पटवार हल्का शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर पत्रावली संख्या 16/13 आर.टी.एक्ट बउनवानी नाहर सिंह आदि बनाम नन्दा निर्णय दिनांक 08.05.2017 जिसके तहत धारा 251क के तहत रास्ता काटे जाने का निर्णय पारित किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार पटेल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 01.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 4 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर के यहां एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के खसरा नम्बर 1631,1632,1634,1635,1636,1637,1638,1744,1745 कुल किता 09 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर के लिये अनावेदकगण/अपीलांट के खसरा नम्बर 1765,1766,1767,1746 में से होकर नया रास्ता दिलवाया जाने की मांग की। जबकि उक्त मांगे गये खसरा नम्बर के लिये राजस्व रिकार्ड में पूर्व से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 1743 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, तथा मौके पर चालू है, उक्त सम्बन्ध में उप तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता मौके पर चालू होने के रिपोर्ट आने तथा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यदि रास्ता है तो रास्ते की मांग नहीं की जा सकती, उक्त धारा की परिधि में नहीं आने के बावजूद दिनांक 08.05.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 04 के आवेदन को स्वीकार कर रास्ता काटे जाने का आदेश पारित कर दिया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 1743 को अपने निर्णय में रास्ता माना है, परन्तु विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अवधारणा की है कि ये रास्ता खसरा नम्बर 1743 गैर मुमकिन सिवायचक रास्ता है जो कि चारागाह भूमि व नदी में से रास्ता उपलब्ध है, कानूनन गैर मुमकिन नदी में से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ये अवधारणा कर विचारण न्यायालय ने विधिक भूल की है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष पत्र कमांक 233/रीडर/2014 दिनांक 03.07.2014 द्वारा उप तहसीलदार पलसाना ने रिपोर्ट भेजी। उक्त रिपोर्ट के साथ फर्द मौका रिपोर्ट बनाकर भेजी। उक्त रिपोर्ट में फर्द रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 03 में लिखा है कि राजस्व रिकार्ड एवं मौके का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीगण के खसरा नम्बर के उत्तर दिशा की तरफ नदी है, तथा पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1743 रकबा 0.05 गैर मुमकिन सिवायचक रास्ता है। जो खसरा नम्बर 1642 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1641 रकबा 0.54 हैक्टेयर गैर मुमकिन चारागाह से होता हुआ गैर मुमकिन नदी खसरा नम्बर 1039 में जाता है, मौके पर रास्ता गैर मुमकिन नदी चालू हैं। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इस रिपोर्ट पर कोई विवेचन नही किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण सुखाधिकार का मानकर विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पारित किया है जो विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर विधि अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 01 से 08, 10,11,13,14,16 से 20,9,12,15, 14/12 14/05 द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर चाहा गया रास्ता कायम करने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है तथा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 1743 को अपने निर्णय में रास्ता माना है, परन्तु विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अवधारणा की है कि ये रास्ता खसरा नम्बर 1743 गैर मुमकिन सिवायचक रास्ता है जो कि चारागाह भूमि व नदी में से रास्ता उपलब्ध है, कानूनन गैर मुमकिन नदी में से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ये अवधारणा कर विचारण न्यायालय ने विधिक भूल की है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष पत्र कमांक 233/रीडर/2014 दिनांक 03.07.2014 द्वारा उप तहसीलदार पलसाना ने रिपोर्ट भेजी। उक्त रिपोर्ट के साथ फर्द मौका रिपोर्ट बनाकर भेजी। उक्त रिपोर्ट में फर्द रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 03 में लिखा है कि राजस्व रिकार्ड एवं मौके का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीगण के खसरा नम्बर के उत्तर दिशा की तरफ नदी है, तथा पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1743 रकबा 0.05 गैर मुमकिन सिवायचक रास्ता है। जो खसरा नम्बर 1642 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1641 रकबा 0.54 हैक्टेयर गैर मुमकिन चारागाह से होता हुआ गैर मुमकिन नदी खसरा नम्बर 1039 में जाता है, मौके पर रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गैर मुमकिन नदी चालू हैं। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इस रिपोर्ट पर कोई विवेचन नही किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण सुखाधिकार का मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर